प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।

पत्र सं0 एस0पी0एम0यू0 / एन0वी0बी0डी0सी0पी0 / एम0पी0डब्ल्यू / 3 / 2012–13 / 12972 दिनांकः 5/9/12

विषय– राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 हेतु संविदा पर एम0पी0डब्ल्यू0 (पुरूष) के चयन एवं प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम हेतु भारत सरकार द्वारा 7351 एम0पी0डब्ल्यू0 (पुरूष) को रू0 6000.00 (रू0 छः हजार मात्र) प्रति माह के मानदेय की दर से दिनांक 31.03.2013 तक संविदा पर रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत संविदा पर नियुक्ति किये जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जनपदवार एम0पी0डब्ल्यू0 (पुरूष) की संख्या की सूची संलग्नक–1 पर दी जा रही है।

3. उपर्युक्त सूची में निर्दिष्ट संख्या के अनुरूप राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एम0पी0डब्ल्यू0 (पुरूष) का संविदा पर चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा–

i. मुख्य चिकित्साधिकारी–सदस्य सचिव
ii. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (वी0बी0डी0)–सदस्य
iii. जिला मलेरिया अधिकारी (जिला वेक्टर जनित रोग अधिकारी)–सदस्य
iv. राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अल्प संख्यक / पिछड़ा वर्ग के अधिकारी–सदस्य

4. जिलाधिकारी अतिव्यस्त होने पर मुख्य विकास अधिकारी को चयन समिति का अध्यक्ष नामित कर सकते हैं।

5. अभ्यर्थियों के चयन में जनपद के अभ्यर्थियों को वरीयता देने के साथ यथासम्भव राज्य सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। उक्त हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा विज्ञापन स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जायेगा। चयन हेतु समय सारणी निम्नवत् है–

- समाचार पत्रों में प्रकाशन–08.09.2012 तक
- आवेदन करने की अन्तिम तिथि–15.09.2012 को सायः 5:00 बजे तक
- साक्षात्कार की तिथि–17.09.2012 से 19.09.2012 तक
- चयन घोषणा–20.09.2012
- चयन हेतु नियम एवं शर्तें तथा आवेदन पत्र का प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है।

6. चयनित एम0पी0डब्ल्यू0 (पुरूष) का तत्काल (अधिकतम एक सप्ताह) के अन्दर योगदान प्राप्त कर उन्हें 10 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिला मलेरिया अधिकारी जिला स्तरीय प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी होगें। जिन जनपदों में जिला मलेरिया अधिकारी कार्यरत् नहीं है वहां पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (वेक्टर जनित रोग) जिला स्तरीय प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी होगें। प्रशिक्षण को सुचारू रूप से पूर्ण करने

Cekle

---2

वाले चयनित एम0पी0डब्ल्यू0 (पुरूष) को मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिनांक 31.03.2013 तक के लि अनुबन्धित किया जायेगा।

7. जनपद स्तर पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण के सुचारू संपादन के लिये जिला मलेरिया अधिकारी/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (वेक्टर जनित रोग) की एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी। अपर निदेशक/राज्य कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा ही उपर्युक्त 10 दिवसीय प्रशिक्षण की समय-सारणी बनायी जायेगी तथा इस प्रशिक्षण हेतु समस्त प्रशिक्षण सामग्री तैयार करवायी जायेगी। प्रशिक्षण की समय-सारणी एंव प्रशिक्षण सामग्री का प्रारुप जिला मलेरिया अधिकारियों/अपर मुख्य चिकित्साधिकारियों (वेक्टर जनित रोग) को अपर निदेशक/राज्य कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा राज्य स्तरीय कार्यशाला में उपलब्ध करा दिया जाये।

8. प्रशिक्षण हेतु रु0 50.00 प्रति दिन प्रति एम0पी0डब्ल्यू0 (पुरूष) की दर से 10 दिन हेतु रु0 500.00 की धनराशि अनुमन्य है, जिससे प्रशिक्षक का मानदेय एवं प्रशिक्षण सामग्री, स्टेशनरी, जलपान आदि की व्यवस्था की जायेगी।

9. संविदा पर अनुबन्धित किये गये एम0पी0डब्ल्यू0 (पुरूष) की सूचना इस कार्यालय को अनुबन्धित किये जाने के एक सप्ताह के अन्दर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रारूप पर ई-मेल generalmanagernp@gmail.com पर प्रेषित की जाये, जिससे अनुबन्धित किये गये एम0पी0डब्ल्यू0 (पुरूष) की सूची को एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके तथा उनके मानदेय की धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा सके-

क्र0 सं0	अनुबन्धित कर्मी का नाम	स्थायी पता तथा मोबाइल नम्बर/ई-मेल	पद नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुबन्ध का दिनांक	कार्य स्थल	टिप्पणी

10. राज्य स्तरीय कार्यशाला/जनपदीय स्तरीय प्रशिक्षण के प्रभारी अधिकारी अपर निदेशक/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, मलेरिया एवं वी0बी0डी0 होगें। अपर निदेशक/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, वी0बी0डी0 राज्य स्तरीय कार्यशाला/जनपदीय स्तरीय द्वारा प्रशिक्षण की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जायेगी तथा उसके अनुसार कार्यवाही भी सम्पादित करायी जायेगी। प्रशिक्षण के मद की धनराशि अपर निदेशक/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, वी0बी0डी0 द्वारा प्रशिक्षण की विस्तृत कार्ययोजना प्राप्त होने के उपरान्त जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

11. राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 हेतु संविदा पर एम0पी0डब्ल्यू0 (पुरूष) के चयन में कोई उत्कोच या अवैध धनराशि का आदान-प्रदान (रिश्वत) पूर्णतः गैर कानूनी एवं दण्डनीय अपराध है अतः इस प्रकार का घृणित कार्य न किया जाये। जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा इस पर निगरानी रखी जाये तथा इस प्रकार का कृत्य संज्ञान मे आने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये इसकी सूचना शासन एवं इस कार्यालय को भी दी जाये।

<u>संलग्नक-यथोक्त</u>

भवदीय,

5/07/12

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्र सं0 एस0पी0एम0यू0/एन0वी0बी0डी0सी0पी0/एम0पी0डब्ल्यू/3/2012-13/1297-2-10 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

---3

3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य, भारत सरकार, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. अपर निदेशक/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, मलेरिया, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
7. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8. वित्त नियंत्रक, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0, लखनऊ, उ0प्र0।
9. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,

05.09.12
(डॉ0 अनिल कुमार मिश्र)
महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम

संलग्नक–1

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय वेक्टर वॉर्न डिज़ीज कन्ट्रोल कार्यक्रम के लिये वर्ष 2012–13 में संविदा पर नियुक्ति किये जाने हेतु जनपदवार एम0पी0डब्ल्यू0 (पुरूष) की संख्या

S. No.	Districts	Sanctioned Contractual Post of MPWs for year 2012-13 by GoI under NRHM
1	Agra	154
2	Aligarh	115
3	Allahabad	171
4	Ambedkar Nagar	77
5	Auraiya	41
6	Azamgarh	192
7	Badaun	125
8	Baghpat	61
9	Bahraich	147
10	Ballia	95
11	Balrampur	104
12	Banda	98
13	Barabanki	41
14	Bareilly	177
15	Basti	121
16	Bijnor	167
17	Bulandshahar	140
18	Chandauli	83
19	C.S.M. Nagar	86
20	Chitrakoot	53
21	Deoria	138
22	Etah	77
23	Etawah	66
24	Faizabad	90
25	Farrukhabad	71
26	Fatehpur	124
27	Ferozabad	86
28	GB Nagar	38
29	Ghaziabad	27
30	Ghazipur	145
31	Gonda	136
32	Gorakhpur	133
33	Hamirpur	75
34	Hardoi	178
35	Hathras	65
36	Jalaun	89
37	Jaunpur	180

S. No.	Districts	Sanctioned Contractual Post of MPWs for year 2012-13 by GoI under NRHM
38	Jhansi	83
39	JP Nagar	41
40	Kannauj	23
41	Kanpur (Dehat)	90
42	Kanpur (Nagar)	109
43	Kanshi Ram Ngr	54
44	Kaushambi	54
45	Kushinagar	113
46	Lakhimpur Khiri	174
47	Lalitpur	47
48	Lucknow	106
49	Maharajganj	135
50	Mahoba	68
51	Mainpuri	78
52	Mathura	97
53	Mau	64
54	Meerut	116
55	Mirzapur	114
56	Moradabad	102
57	Muzzafarnagar	144
58	Pilibhit	111
59	Pratapgarh	26

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0

आवेदित पद का नामः–एम0पी0डब्ल्यू–पुरूष (वेक्टर जनित रोग)

आवेदक का नाम..

नवीनतम पास पोर्ट साईज फोटो राजपतित्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित

पिता का नाम..

पता–

स्थायी पता..

पत्राचार हेतु पता...

फोन नं0...................................... मोबाइल नम्बर ....

ई–मेल...

श्रेणी– जाति–अनु0जनजाति ☐ अनु0 जाति ☐ पिछड़ा वर्ग ☐ सामान्य ☐

जन्म तिथि ....31 अगस्त, 2012 को उम्र.........वर्ष............माह............दिन

शैक्षिक योग्यता

शैक्षिक योग्यता	विषय	बोर्ड / विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्रतिशत	श्रेणी

अनुभव–

संस्थान का नाम	कार्य की अवधि	पदनाम	कार्य

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ (1) मैंने विज्ञापन की शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ा है, वे मुझें मान्य हैं और ये शर्ते मैं पूरी करता हँ। (2) इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण / सूचनायें सत्य और सही हैं। मैंने इस विवरण और सूचनाओं में कोई तथ्य छिपाया नहीं है। यदि कोई विवरण / सूचनाएं असत्य और गलत पाये जायें तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जायें।

दिनांकः **अभ्यर्थी के हस्ताक्षर**

संलग्नकों की संख्याः

नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें

1) संविदा पर नियुक्ति वर्ष 2012–13 (दिनांक 31.03.2013 तक) के लिये की जायेगी।
2) संविदा पर अधिकतम 65 वर्ष तक की आयु के स्वस्थ अभ्यर्थी चयन हेतु अर्ह होगें।
3) राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। परन्तु आरक्षण श्रेणी के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियाँ उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी।
4) एक मुश्त मानदेय रू0 6000.00 के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नही होगें।
5) इस नियुक्ति के आधार पर राज्य सरकार के आधीन पदों पर नियुक्ति पाने का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
6) नियुक्त एम0पी0डब्ल्यू (पुरूष) पर राज्य सरकार के कर्मचारियों पर प्रभावी गर्वमेन्ट कन्डक्ट रुल लागू होंगे।
7) साक्षात्कार हेतु कोई टी0ए0/डी0ए0 देय नहीं होगा।
8) नियुक्ति स्थानान्तरणीय नहीं होगी।
9) नियुक्ति से संबंधित सभी विधिक विवादों का निस्तारण स्थानीय जिला न्यायालय के जूरिस्डिक्शन के अधीन होगा।
10) आवेदन पत्र के साथ जन्म प्रमाण पत्र, समस्त शैक्षिक योग्यताओं का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आदि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11) पत्राचार हेतु स्वयं का पता लिखा डाक टिकट लगा दो लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12) प्रकाशित विज्ञापन में साक्षात्कार की तिथि को साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा एवं साक्षात्कार के लिए कोई अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजा जायेगा तथा साक्षात्कार के समय अपने समस्त मूल अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।
13) शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट रहेगी। विज्ञान के अभ्यार्थियों तथा स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वरीयता दी जायेगी एवं स्थानीय अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।
14) संविदा पर रखे कर्मचारी की नियुक्ति दिनांक 31.03.2013 को स्वतः समाप्त हो जायेगी।